27/3/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली प्राविक आदेश दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

आहरण एवं वितरण

30/6/25 धीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक ... / ... / 2025 / 42123 दिनांक 13/2/25 द्वारा ... उपखण्ड अधिकारी ... 1956 की धारा ... 183 ... पत्रावलियां ... तबदील किया ... पत्रावलियां ... 1956 की ... पत्रावलियां ... दिनांक 30/6/25 ... पत्रावली वास्ते सुनवाई ... धारा 246 (3) में ... में स्थानीय पक्षकार ...

विषय आमा

पेश है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 20285/44, आफलाईन वाद संख्या 3m/2025 प्रतिवादी सं. 5/अप्रार्थी सं. 5 द्वारा वसीयत निष्पादित किये जाने के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण 1/5 हक हिस्सा परिवार व वंशीय अन्तरित कर दिये जाने के वादी/प्रार्थी को कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं होने से खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 3m/2025 खारिज कर दिये जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली लौटाने कुमार रोका गया कि दस्तखत हो तथा नम्बर से कम हो।

30/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा